संख्या- 4/1451/अड्तीस-9-13-04(रिट)/2010

प्रेषक

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक- 02 दिसम्बर , 2013

विषय- रिट याचिका संख्या-3546(एम0बी0)/2010, यू0पी0 अभियंत्रण एवं श्रम सहकारी संघ लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3548(एम0बी0)/2010 उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास संघ लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-05-10-2010 तथा रिट याचिका संख्या-12453(एम0बी0)/2010 भारतीय को-आपरेटिव ग्रामीण विकास लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-24-01-2011 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त्, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-1106/विधि अनु0/2013, दिनांक-19-11-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया रिट याचिका संख्या-3546(एम0बी0)/2010, यू0पी0 अभियंत्रण एवं श्रम सहकारी संघ लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3548(एम0बी0)/2010 उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास संघ लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-05-10-2010 तथा रिट याचिका संख्या-12453(एम0बी0)/2010 भारतीय को-आपरेटिव ग्रामीण विकास लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-24-01-2011 के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका को मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक-21-10-2013 द्वारा खारिज कर दिये जाने के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय के संदर्भित निर्णय दिनांक-05-10-2010 तथा 24-01-2011 की अनुपालन आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

2- उक्त के साथ ही यह भी अनुरोध है कि कृपया विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिये अग्रेतर कार्यदायी संस्थाओं के चयन सम्बन्धी कार्यवाही शासनादेश दिनांक-14-10-2013 द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाय।

3- प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है। अतः समयबद्व रूप से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या- 4/1451 (1) /अड्तीस-9-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि, आयुक्त, ग्राम्य विकास को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 उच्च् न्यायालय के संदर्भित शासनादेश दिनांक-05-10-2010 तथा 24-01-2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से प्रभावी अनुश्रवण कराकर अनुपालन आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in